राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1675/2025

अशोक कुमार सैनी —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पशुपालन, राजस्थान, जयपुर।
3. हवासिंह, पशुधन सहायक, बुरडको की ढ़ाणी, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 27.01.2025
आदेश की दिनांक : 28.02.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरीराज राजोरिया, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर उपकेन्द्र ग्रामीण बाछड़ी, जयपुर में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से बुरडको की ढ़ाणी, जयपुर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के केवल मात्र निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को संमजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय के विपरीत है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पशुधन सहायक के पद पर उपकेन्द्र ग्रामीण बाछड़ी, जयपुर में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी पशुधन सहायक के पद पर उपकेन्द्र ग्रामीण बाछड़ी, जयपुर में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से बुरडको की ढ़ाणी, जयपुर में में प्रशासनिक कारणों एवं लोकहित में किया गया है। जहां

तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को समंजित करने का प्रश्न है **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को उस की स्वयं की प्रार्थना पर अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचि0त कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। हमें प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)